



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1940 (श10)  
(सं0 पटना 386) पटना, मंगलवार, 12 मार्च 2019

श्रम संसाधन विभाग

प्रारूप अधिसूचना  
8 मार्च 2019

एस0ओ0 62, दिनांक 12 मार्च 2019—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार राज्य में निम्नांकित नियोजनों में नियोजित अर्द्धकुशल कोटि के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करना चाहते हैं, उससे संबंधित प्रस्ताव का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के बाद उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को या उसके पहले इस प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति से जो भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त होगा उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रारूप  
अनुसूची

क्र0सं0 अनुसूचित नियोजनों का नाम

1. पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का कार्य;
2. बीड़ी निर्माण;
3. ईंट निर्माण;
4. हेयर कटिंग शैलून;
5. लादने एवं उतारने के कार्यों;
6. वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य;
7. असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टैपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग;
8. चाय बगान;
9. लाह निर्माण;
10. पावरलूम इंडस्ट्रीज (बिजली करघा);
11. केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने ।

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें	दिनांक 01.10.2018 तक देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल (3+4) दिनांक 01.10.2018 को लागू दर	दिनांक-01.10.2018 को लागू अकुशल एवं कुशल कोटि के कामगारों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का औसत अथवा अधिसूचना प्रवृत्त होने की तिथि को लागू अकुशल एवं कुशल कोटि के कामगारों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का औसत	प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दर
1	2	3	4	5	6	7
<b>पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के कार्य :- (सामान्य कार्य)</b>						
1.	अर्द्धकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन
<b>बीड़ी निर्माण-(सामान्य कार्य)</b>						
1.	अर्द्धकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन
<b>ईंट निर्माण नियोजन -</b>						
1.	अर्द्धकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन
<b>हेयर कटिंग सैलून -</b>						
1.	अर्द्धकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन
<b>लादने एवं उतारने के कार्यों के नियोजन-</b>						
1.	अर्द्धकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन
<b>वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य- (सामान्य कार्य)</b>						
1.	अर्द्धकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन
<b>असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टेपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग-</b>						
1.	अर्द्धकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन
<b>चाय बगान का नियोजन- सामान्य कार्य -</b>						
1.	अर्द्धकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन
<b>लाह निर्माण- सामान्य कार्य -</b>						
1.	अर्द्धकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन
<b>पावरलूम इन्डस्ट्रीज (बिजली करघा)- सामान्य कार्य</b>						
1.	अर्द्धकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन
<b>केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने के नियोजन-</b>						
1.	अर्द्धकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन

**टिप्पणी :-**

- (क) वर्तमान में अकुशल कोटि के कामगार एवं अर्द्धकुशल कोटि के कामगार के न्यूनतम मजदूरी का अंतर बेहद कम है, एवं ये अंतर केवल ₹11/- का है।
- (ख) अर्द्धकुशल कोटि के कामगारों के पुनरीक्षण का आधार दिनांक-01.10.2018 को लागू अकुशल एवं कुशल कोटि के कामगारों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का औसत अथवा अधिसूचना प्रवृत्त होने की तिथि को लागू अकुशल एवं कुशल कोटि के कामगारों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का औसत होगा।
- (ग) मासिक न्यूनतम मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में अथवा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में भुगतान 26 से भाग/गुणा करके किया जायेगा।
- (घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(छ) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

नोट :- अर्द्धकुशल कोटि से अभिप्रेत है-

- (i) उपरोक्त 11 अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले अर्द्धकुशल कोटि के कामगार।
- (ii) भिश्ति (मूशक सहित), नाववाला (प्रधान), भंजक (चट्टान, पत्थर प्रस्तर धातु, पत्थर), बेंत बुनने वाला, चारपाई कसने वाला, सुरक्षा गार्ड (शस्त्र रहित), दपतरी, फायरमैन, फायरमैन (ईंटो का भट्टा, स्टीम रोड रोलर), गेटकीरपर, सहायक (कारीगर), सहायक (आराकश), श्रमिक (चट्टानकर्तन), फिटर गैंग, खलासी, खलासी, टर्नर, मजदूर (भारी वजन), रात्रिगार्ड, सहायक चाय बनाने वाला, परोसने वाला, (सर्विस मैन्), बैरा, वेटर, भंडारवाला, फिटर (सहायक अर्द्धकुशल), जमादार (अर्द्धकुशल), पम्प अटेंडेंट, डांडी फराश, सहायक (लोको, क्रेन/ट्रक), खलासी, नाव वाला, मसालची, तोपकार (बड़े पत्थर तोड़नेवाला) या अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों जिनमें कार्य अनुभव/प्रशिक्षण के आधार पर कुछ कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में किया जा सकता है, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाय।
- (iii) वैसा अकुशल कामगार जिन्होंने पाँच या पाँच वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त किया हो।
- (iv) वैसा NSQF संबद्ध कौशल प्रशिक्षित कामगार जिनके प्रमाणीकरण पर स्तर (Level) 2 अथवा स्तर (Level) 3 अंकित हो।

(सं०-5/एम०डब्लू०-403/09-1185/श्र०सं०)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मोहन रजक,  
अवर सचिव।

#### 8 मार्च 2019

एस० ओ० 63, एस० ओ० 62, दिनांक 12 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०-5/एम०डब्लू०-403/09-1185/श्र०सं०)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मोहन रजक,  
अवर सचिव।

#### The 8<sup>th</sup> March 2019

S.O. 62, dated 12<sup>th</sup> march 2019— The following draft of proposal to revise the minimum rates of wages fixed in the State Government so many Notifications for certain categories of employees employed in the following Employment in the State of Bihar, Which the Governor of Bihar proposes to make in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act is hereby published as required by clause (b) of sub-section (1) of section-5 of the said Act for the information of persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken in to consideration after two months from the date of publication of this notification in the Bihar Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said proposal on or before the date of expiry of the said period of two months shall be considered by the State Government.

#### Draft Proposal Schedule

Sl. No.	Name of Scheduled Employments
1.	Stone Breaking and Stone Crushing Operation;
2.	Bidi Making Manufacturing;
3.	Brick Manufacturer;
4.	Hair Cutting Saloon;
5.	Loading and Unloading;

6. Forestry and Timbering Operation;
7. Silk Industries including Manufacturing from pure Artificial Silk and other staple Yarn;
8. Tea PLatation;
9. Lac Manufactory;
10. Power Loom Industry;
11. Plucking and Processing of Kendu Leave.

S. N.	Categories of Workers	Existing Minimum Rates of Wages	V.D.A Payable up till 01.10.2018	Total (3+4) Wages enforce from 01.10.2018	Average of Minimum Wages of Unskilled & Skilled category of worker enforceable from 01.10.2018 or Average of minimum wages applicable for Unskilled & Skilled category at the time of notification.	Proposed rate of Minimum Wages
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stone Breaking &amp; Stone Crushing Operations General Work</b>						
1	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	$257.00+325.00= 582\div 2=291$	291.00 Per day
<b>Bidi Making Manufacture :- General Work</b>						
1	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	$257.00+325.00= 582\div 2=291$	291.00 Per day
<b>Brick Manufactory- General Work-</b>						
1	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	$257.00+325.00= 582\div 2=291$	291.00 Per day
<b>Hair Cutting Saloon - General Work -</b>						
1	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	$257.00+325.00= 582\div 2=291$	291.00 Per day
<b>Loading &amp; Unloading Operation- General Work</b>						
1	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	$257.00+325.00= 582\div 2=291$	291.00 Per day
<b>Forestry and Timbering Operation- General Work</b>						
1	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	$257.00+325.00= 582\div 2=291$	291.00 Per day
<b>Silk Industry including Manufacturer from pure silk, artificial silk and other staple yarn- General Work</b>						
1	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	$257.00+325.00= 582\div 2=291$	291.00 Per day
<b>Tea Plantation - General Work</b>						
1	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	$257.00+325.00= 582\div 2=291$	291.00 Per day
<b>Lac Manufactory- General Work</b>						
1	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	$257.00+325.00= 582\div 2=291$	291.00 Per day
<b>Power loom Industry- General Work</b>						
1	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	$257.00+325.00= 582\div 2=291$	291.00 Per day
<b>Plucking and Processing-Kendu leaves- General Work</b>						
1	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	$257.00+325.00= 582\div 2=291$	291.00 Per day

Note :-

- (a) The difference between minimum wage for unskilled and semi-skilled worker is very low and at present the difference is only ₹11/-.

- (b) The basis of revising minimum wage of semi-skilled category is to keep the wage between the average wage of unskilled & skilled category of worker or to keep it at average of minimum wages applicable for Unskilled & Skilled category at the time of notification.
- (c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 or by multiplying the daily rates by 26.
- (d) The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days.
- (e) An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.
- (f) Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature.

**Note :- Semi-skilled category means –**

- (i) The worker working as semi-skilled worker in the above mentioned 11 schedule employments.
- (ii) Bhisti (with Mushk), Boatman (Head), Breaker (stone, rock, rock stone, stone, metal), Cane weaver, Charpoy-Stringer, Security Guard (with out arms), Daftri, Fireman, Fireman (brick kiln, steam road roller), Gatekeeper, Helper (artisan), Helper (Sawyer), Labourer (Rock-cutting), Fitter Gang, Khalasi, Turner, Labourer (heavy weight), Night Guard, Assistant Tea Maker, Service man, Waiter, Bhandarwala, Fitter (Assistant Semi-skilled), Jamadar (Semi-Skilled), Pump attendant, Dandi Frash, Helper (loco, crane/truck), Boat man, Masalchi, Topkar (big stone breaker) or any other worker by whatever name so called and the execution of work require some skill or capacity, acquired either through experience or some training and which is done under the supervision of skilled worker.
- (iii) Such unskilled worker who has a work experience of five or more years.
- (iv) Such worker who has done NSQF allied training and Level 2 or Level 3 is marked on his/her certificate.

(No.-5/M.W-403/09-1185/ L & R )

By order of the Governor of Bihar,  
MOHAN RAJAK,  
*Under Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 386-571+100 डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>